समक्ष न्यायालय : जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, एन.डी.पी.एस. विशेष न्यायाधीश, नीमच (म.प्र.)

{अंतर्गत स्वापक औषधियाँ और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985}

निर्णय की तारीख : 12.08.2026

प्रकरण संख्या : एस.सी.एन.डी.पी.एस. / 50 / 2019
सीएनआर नंबर एम.पी. एम.पी.44–01005057 / 2019
फाईलिंग नंबर.–एस.सी.एन.डी.पी.एस / 4201 / 2019
फाईलिंग दिनांक 06.11.2019

परिवादी	नीमच सिटी, जिला नीमच म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक।
आरोपीगण	1–मोहम्मद शेरखान पिता कल्लू खान आयु 34 वर्ष, निवासी ग्राम बिल्लौद, थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) 2–लक्ष्मीनारायण पिता राधेश्याम बलाई, आयु 33 वर्ष, निवासी ग्राम बंडपिपल्या, थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर
प्रतिनिधित्व आरोपी मोहम्मद शेरखान द्वारा	अधिवक्ता श्री निरंजन दशौरा।
प्रतिनिधित्व आरोपी लक्ष्मीनारायण द्वारा	अधिवक्ता श्री रमेश राजौरा।

प्रारूप–ड.

अपराध की तारीख	15.05.2019 से 29.05.2019
प्र.सू.रि. की तारीख	15.05.2019
अभियोग–पत्र की तारीख	06.11.2019

Contd. -----

आरोपों के विरचना की तारीख	26.11.2019
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	22.01.2020
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	08.08.2026
निर्णय की तारीख	12.08.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	12.08.2026

आरोपी का विवरण

आरोपी की श्रेणी	आरोपी का नाम	गिरफ्–तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 भा. ना.सु.सं., 2023 / धारा 428, दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
पुरूष	मोहम्मद शेरखान पिता कल्लू खान	दिनांक 15.05. 2019 तथा दिनांक 29.06. 2026	दिनांक 07.11. 2023	धारा 8/15(सी) एन.डी. पी.एस.एक्ट	**दोषसिद्ध**	**10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00000 रू. के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न दिए जाने की दशा में 1 वर्ष का सश्रम कारावास**	दिनांक 15.05.2019 से 07.11.2023 तक तथा दिनांक 29.06.2026 से निरंतर
पुरूष	लक्ष्मीनारायण पिता	दिनांक 20.05.	दिनांक 01.08.	धारधारा 8/15(सी)	**दोषसिद्ध**	**10 वर्ष का सश्रम**	दिनांक

Contd. -----

	राधेश्याम बलाई,	2019 दिनांक 04.07. 2026	2019	सहपठित 29 एन.डी. पी.एस.एक्ट		**कारावास एवं 1,00000 रू. के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न दिए जाने की दशा में 1 वर्ष का सश्रम कारावास**	20.05.2019 से 01.08.2019 तक तथा दिनांक 04.07.2026 से निरंतर

अभियोजन–प्रतिरक्षा–न्यायालयीन साक्षियों की सूची
क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अ.सा.–1	विजेश यादव	पुलिस साक्षी
अ.सा.–2	राजा शेख	पंच साक्षी
अ.सा.–3	मोहम्मद एहसान	पंच साक्षी
अ.सा.–4	दशरथ कुमार माली	पुलिस साक्षी / मालखाना
अ.सा.–5	सीमा मालवीय	अन्य साक्षी / पटवारी
अ.सा.–6	मनोहरलाल जायसवाल	अन्य साक्षी / नोटरी एडवोकेट
अ.सा.–7	प्रभु सिंह	पंच साक्षी
अ.सा.–8	सुनील सोलंकी	अन्य साक्षी
अ.सा.–9	वरूण देव वर्मा	अन्य साक्षी
अ.सा.–10	कैलाश	अन्य साक्षी
अ.सा.–11	राजेन्द्र सिंह सिसोदिया	पुलिस साक्षी / जप्तीकर्ता अधिकारी
अ.सा.–12	नरेन्द्रसिंह ठाकुर	पुलिस साक्षी / पुनः सीलबंद साक्षी
अ.सा.–13	रमेशचंद्र दांगी	पुलिस साक्षी / अनुसंधान अधिकारी
अ.सा.–14	विरेंद्रसिंह उमठ	पुलिस साक्षी
अ.सा.–15	अशोक चंद्रावत	पुलिस साक्षी / हमराह

Contd. -----

अ.सा.–16	अजीत कुमावत	पुलिस साक्षी
अ.सा.–17	जितेंद्र कुमार सेन	पुलिस साक्षी
अ.सा.–18	प्रतीक रॉय	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
––	––	––

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
––	––	––

अभियोजन–प्रतिरक्षा–न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची
क. अभियोजन :

स.क्र.	प्र. संख्या	विवरण
1.	प्र.पी–1/अ.सा.–1	धारा–42 एन.डी.पी.एस. एक्ट का सूचना पत्र
2.	प्र.पी–2/अ.सा.–1	धारा–57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का सूचना पत्र
3.	प्र.पी–3/अ.सा.–2	पंचनामा मुखबिर सूचना
4.	प्र.पी–4/अ.सा.–2	पंचनामा न प्राप्त कर सकने सर्च वारण्ट का
5.	प्र.पी–5/अ.सा.–2	पंचनामा करने नाकाबंदी, कराने टंकण कार्य हमराही आरक्षक से साथ लाए लैपटॉप, प्रिंटआउट साथ लाए प्रिंटर से
6.	प्र.पी–6/अ.सा.–2	धारा–50 एन.डी.पी.एस एक्ट का सूचना पत्र
7.	प्र.पी–7/अ.सा.–2	पंचनामा सहमति वास्ते आरोपी मोहम्मद शेरखान

8.	प्र.पी–8 / अ.सा.–2	लिखित सहमति पंचनामा वास्ते आरोपी मोहम्मद शेरखान
9.	प्र.पी–9 / अ.सा.–2	पंचनामा देने जामा तलाशी पुलिस रेड पार्टी व पंचानों की संदेही को
10.	प्र.पी–10 / अ.सा.–2	पंचनामा तलाशी संदेही व ट्रेक्टर ट्रॉली की
11.	प्र.पी–11 / अ.सा.–2	पंचनामा पहचान मादक पदार्थ
12.	प्र.पी–12 / अ.सा.–2	पंचनामा भौतिक सत्यापन तौल उपकरण
13.	प्र.पी–13 / अ.सा.–2	पंचनामा तौल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा
14.	प्र.पी–14 / अ.सा.–2	पंचनामा करने समरस निकालने सैंपल करने सीलबंद, देने आर्टिकल
15.	प्र.पी–15 / अ.सा.–2	सपंत्ति जप्ती पत्रक
16.	प्र.पी–16 / अ.सा.–2	सील नमूना पंचनामा
17.	प्र.पी–17 / अ.सा.–2	मोहम्मद शेर खान का गिरफ्तारी पंचनामा
18.	प्र.पी–18 / अ.सा.–2	पंचनामा अंतर्गत धारा–27 साक्ष्य अधिनियम
19.	प्र.पी–19 / अ.सा.–2	पंचनामा अंतर्गत धारा–27 साक्ष्य अधिनियम
20.	प्र.पी–20 / अ.सा.–2	साक्षी राजा शेख के कथन
21.	प्र.पी–21 / अ.सा.–3	साक्षी एहसान के कथन
22.	प्र.पी–22सी / अ.सा.–4	जप्तीमाल रजिस्टर की सत्यापित प्रति
23.	प्र.पी–23 / अ.सा.–4	पंचनामा करने माल जिम्मे एच.सी.एम.
24.	प्र.पी–24 / अ.सा.–4	पंचनामा करने माल पुनः सीलबंद
25.	प्र.पी–25 / अ.सा.–4	एफ.एस.एल. रसीद
26.	प्र.पी–25ए / अ.सा.–5	तहसीलदार को नजरी नक्शा बनवाने हेतु लेख पत्र
27.	प्र.पी–26 / अ.सा.–5	नजरी नक्शा
28.	प्र.पी–27 / अ.सा.–6	अनुबंध पत्र
29.	प्र.पी–27सी / अ.सा.–6	अनुबंध पत्र
30.	प्र.पी–28सी / अ.सा–6	नोटरी रजिस्टर की प्रति
31.	प्र.पी–29 / अ.सा–6	सूचना पत्र अंतर्गत धारा–160 जा.फो.
32.	प्र.पी–30 / अ.सा–7	संपत्ति जप्ती पत्रक

Contd. -----

33.	प्र.पी–31/अ.सा–10	इकरारनामा
34.	प्र.पी–32/अ.सा–11	प्रथम सूचना रिपोर्ट
35.	प्र.पी–33/अ.सा–11	घटनास्थल का नक्शामौका
36.	प्र.पी–34/अ.सा–12	आरोपी लक्ष्मीनारायण का गिरफ्तारी पत्रक
37.	प्र.पी–35/अ.सा–12	पंचनामा धारा–27 साक्ष्य विधान अधिनियम वास्ते लक्ष्मीणनारायण
38.	प्र.पी–36/अ.सा–12	धारा–52 की कार्यवाही के संबधं में लेख पत्र
39.	प्र.पी–37 व 38/अ.सा–12	राजस्व आदेश पत्रिकाएं
40.	प्र.पी–39 व 40/अ.सा–12	अनुक्रमणिका–1 व 2
41.	प्र.पी–41 लगायत 49/अ.सा–12	धारा–52ए की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स
42.	प्र.पी–50 /अ.सा–12	एफ.एस.एल रिपोर्ट
43.	प्र.पी–51/अ.सा–13	प्रकरण की अग्रिम विवेचना थाना प्रभारी बघाना को प्रदाय करने बाबत् पुलिस अधीक्षक नीमच का आदेश
44.	प्र.पी–52 लगायत 56/अ.सा–13	संपत्ति जप्ती पत्रक
45.	प्र.पी–57 व 58/अ.सा–13	गिरफ्तारी पत्रक वास्ते आरोपी बाबूलाल एवं शौकीन
46.	प्र.पी–59/अ.सा–13	जप्तशुदा मादक पदार्थ के परीक्षण के संबंध में एफ.एस.एल. इंदौर को लेख पत्र
47.	प्र.पी–60/अ.सा–13	विखण्डन प्रमाण पत्र
48.	प्र.पी–61 लगायत 65/अ.सा–13	सूचना पत्र अंतर्गत धारा 91 जा.फो.
49.	प्र.पी–66/अ.सा–13	प्रश्नास्पद हस्ताक्षर की जांच बाबत राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय भोपाल को लेख पत्र
50.	प्र.पी–67/अ.सा–13	विखण्डन प्रमाणपत्र
51.	प्र.पी–68/अ.सा–13	पुलिस अधीक्षक, नीमच को दस्तावेज परीक्षण बाबत् लेख पत्र
52.	प्र.पी–69/अ.सा–13	जप्तशुदा दस्तावेजों की जांच बाबत राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय भोपाल को लेख पत्र

Contd. -----

53.	प्र.पी–70/अ.सा–13	पावती रसीद
54.	प्र.पी–71/अ.सा–13	स्टांप वेंडर रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रदान करने बाबत लेख पत्र
55.	प्र.पी–72/अ.सा–13	पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा से प्राप्त प्रमाणित छायाप्रति
56.	प्र.पी–73/अ.सा–13	पंचनामा निरीक्षण ट्रॉली
57.	प्र.पी–74/अ.सा–13	धारा–65बी का प्रमाण पत्र
58.	प्र.पी–75 लगायत 95/अ.सा–13	रोजनामचा सान्हा विवरण
59.	प्र.पी–96/अ.सा–13	नष्टीकरण प्रमाण पत्र
60.	प्र.पी–97 व 97सी/अ.सा–13	असल नोट व असल नोट की सत्यप्रति
61.	प्र.पी–98, 98सी, 99सी व 99, 100, 100सी/अ.सा–13	पंचनामा नमूना हस्ताक्षर व प्रति
62.	प्र.पी–101 व 101सी/अ.सा–13	असल नोट व असल नोट की सत्यप्रति
63.	प्र.पी–102 लगायत 110/अ.सा–13	पंचनामा नमूना व नमूना हस्ताक्षर
64.	प्र.पी–111/अ.सा–13	पुलिस अधीक्षक नीमच को लेख पत्र
65.	प्र.पी–112/अ.सा.–13	राज्य परीक्षक की रिपोर्ट/अभिमत चार पृष्ठीय
66.	प्र.पी–113/अ.सा.–18	संपत्ति जप्ती पत्रक

ख. प्रतिरक्षा :

स.क्र.	प्र. संख्या	विवरण
01.	प्र0डी0–01 लगायत डी–05/अ0सा013	टैक्टर व ट्रॉली के फोटोग्राफ्स

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स.क्र.	प्र. संख्या	विवरण

Contd. -----

––	––	––

घ. आवश्यक वस्तुएं :

स.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
01.	मूल माल आर्टिकल 01 लगायत 06	दिनांक 14.03.2022 को नष्टीकृत।
02.	आर्टिकल/सैंपल 1–ए लगायत 6–ए, ए–बी लगायत 6बी, आर्टिकल ए–3 लगायत एफ–3 व ए–4 लगायत एफ–4	निकाले गए सैंपल
03.	आर्टिकल एमओ–01, एमओ–2 वाहन ट्रेक्टर व ट्राली क्रमांक एम.पी.–44–ए.बी.–1035	थाने के मालखाना में जमा है।

पुलिस थाना नीमच सिटी के अपराध क्रमांक–263/2019 अन्तर्गत धारा–8/15(सी), 25, 29 स्वापक औषधियाँ और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. से उद्‌भूत विशेष सत्र प्रकरण।

---

1. आरोपीगण के विरूद्ध धारा 8/15(सी), 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट (अत्रपश्चात् 'अधिनियम' से संबोधित) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप हैं कि आरोपी मोहम्मद शेरखान दिनांक 15.05.2019 के 03:40 बजे या उसके लगभग, मालखेडा फंटा, हाईवे रोड, जिला–नीमच पर आयशर ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक एम.पी.–44–ए.बी.–1035 के गोपनीय चेम्बर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 96 किलोग्राम का परिवहन किया जो, आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा सहआरोपी मोहम्मद शेरखान को उपलब्ध कराया गया।

2. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि उक्त मामले के सहआरोपी शौकीन और बाबूलाल को पूर्व में निर्णय दिनांक के द्वारा 08.06.2026 के द्वारा धारा 419, 420, 467, 468 भा.द.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किया

Contd. -----

गया है।

3. अभियोजन कथानक सारतः इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2019 को थाना नीमच सिटी पर सउनि के पद पर पदस्थ आर.एस. सिसोदिया को उसके विश्वसनीय मुखबिर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि "ग्राम बिल्लोद का मोहम्मद शेर खान आईशर ट्रेक्टर सिल्वर रंग का जिसके आगे चैनल पर **"देवडा"** लिखा है तथा उसके पीछे पीले रंग की ट्राली है जिस पर दोनों तरफ **"अल्ट्राटेक"** लिखा है। ट्राली में मोहम्मद शेर खान द्वारा ट्राली वाले भाग के नीचे चेचिस में गोपनीय चेम्बर बना रखा है, जिसमें वह अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा छिपाकर मन्दसौर तरफ से हाईवे के रास्ते राजस्थान तरफ जाने वाला है। यदि तत्काल मालखेडा फण्टे पर नाकाबंदी की जाये तो सफलता मिल सकती है, अन्यथा उसके माल सहित निकल जाने या माल की अफरा–तफरी करने कि पूर्ण सम्भावना है"। उक्त सूचना विश्वसनीय होने से रो.सा. में दर्ज की गई। तत्पश्चात् उक्त सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु स्वतंत्र साक्षियों की आवश्यकता होने से, पंचान तलब करने आरक्षक क्र. 173 अजीत कुमावत को कस्बा रवाना किया, जो मनासा नाका से पंचान राजा शेख तथा एहसान को तलब कर वापस थाना आया। तत्पश्चात स.उ.नि. आर.एस. सिसौदिया के द्वारा तलबीदा पंचानो एवं थाने पर उपस्थित फोर्स को उक्त मादक पदार्थ डोडाचूरा की सूचना से अवगत कराकर, पंचनामा मुखबीर सूचना का तैयार किया जाकर, रिपोर्ट रोजनामचा में दर्ज की गई।

4. अभियोजन मामला आगे यह भी है कि मुखबिर सूचना अनुसार, तत्काल नाकाबंदी करने पर ही सफलता की संभावना को देखते हुए एवं सर्च वारण्ट प्राप्त न कर सकने के कारण का उल्लेख करते हुए, पंचनामा तैयार किया जाकर, धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, सूचना प्रतिवेदन मय पंचनामा मुखबिर सूचना व पंचनामा सर्च वारण्ट न प्राप्त कर सकने की प्रति 173 अजीत कुमावत को देकर, सी.एस.पी. को देने रवाना किया गया। तत्पश्चात् स.उ.नि. आर.एस. सिसौदिया मय प्र.आर. 186 गोपाल सोनी, आर. 227 तेजसिंह, आर. 515

माधव हाडा, आर. 470 अशोक चन्द्रावत आर. 141 मोहन सिंह पंचान राजा शेख तथा एहसान खान के मय अनुसंधान सामग्री के रोजनामचा सान्हा पर 53 पर दर्ज आमद मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु रवाना होकर, मालखेडा फण्टा पहुंचा, जहां प्रायवेट वाहन को साईड में लगाकर फोर्स व पंचान की मदद से मालखेडा फण्टा हाईवे रोड पर मंदसौर तरफ से आने वाले रोड पर नाकाबंदी लगाई गई तभी कुछ समय पश्चात् मंदसौर तरफ से एक ट्रेक्टर सिल्वर रंग का आईशर कम्पनी का जिसके पीछे पीले रंग कि ट्राली लगी थी, आता दिखा जिसे पास आने पर हमराही फोर्स कि मदद से रोका एंव ट्रेक्टर को चारों तरफ से देखते, ट्रेक्टर के चैनल पर आगे देवडा लिखा है तथा पीले रंग की ट्रॉली जिसके दोनों तरफ अल्ट्राटेक लिखा है, के चालक का नाम पता पुछते, उसने अपना नाम मोहम्मद शेर खान पिता कल्लुखान पठान, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम बिल्लौद, थाना नाहरगढ़, जिला मंदसौर का होना बताया।

5. अभियोजन मामला आगे यह भी है कि मोहम्मद शेरखान को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए, तलाशी सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारो से अवगत हुऐ धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का सूचना पत्र देकर, दूसरी प्रति पर प्राप्ति ली, इस पर मोहम्मद शेर खान ने सउनि आर.एस. सिसौदिया को तलाशी देने की मौखिक व लिखित सहमति दी गई। तत्पश्चात् ट्रेक्टर ट्राली की तलाशी लेने से पूर्व स.उ.नि. आर.एस. सिसोदिया व फोर्स एवं पंचानो एवं प्रायवेट वाहन एंव अनुसंधान सामग्री की तलाशी मोहम्मद शेरखान को दी, जिसमें किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात् मोहम्मद शेर खान के कब्जे वाले आईशर ट्रेक्टर मय ट्रॉली की तलाशी लेते, सूचना के मुताबिक ट्रॉली वाले भाग के नीचे चैचिस में गोपनीय चैम्बर की लेते 06 प्लास्टिक के काले कट्टे छिपाकर रखे मिले, जिनको खोलकर देखते उक्त सभी कट्टों में अफीम डोडाचूरा जैसा पदार्थ भरा होना पाया गया। तत्पश्चात् उक्त कट्टों में भरे पदार्थ में से थोडा–थोडा पदार्थ हाथों में लेकर, रगड़कर सूंघते सभी 06 कट्टों में भरे पदार्थ में से तीखी कसीली गंध आ रही है, जिसे सभी ने अपने–अपने अनुभव से 06 कट्टों में भरा पदार्थ अवैध मादक पदार्थ डोडचूरा होना पाया। तत्पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक कांटे का भौतिक सत्यापन

Contd. -----

किया गया। 06 काले प्लास्टिक के कट्टों का क्रमशः पृथक–पृथक साथ लाए गए, सत्यापित इलेक्ट्रानिक तौल कांटे से तौल करते, प्रत्येक कट्टे में 16–16 किलोग्राम मय कट्टे के कुल 96 किलोग्राम डोडाचूरा होना पाया गया। तत्पश्चात् उक्त ट्रेक्टर ट्रॉली से मिले अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के कट्टों को क्रमानुसार आर्टिकल 1 से 6 तक मानकर, क्रमानुसार बारी–बारी से हाथों से नीचे से उपर तक उथल–पुथल कर, समरस कर, प्रत्येक कट्टे में से तौलकर रासायनिक परीक्षण हेतु 500–500 ग्राम के 02–02 सैम्पल अलग–अलग सफेद कपडे की थैलीयों में निकालकर थैलियों का मुंह सुईधागे से सिलकर बंदकर, थाना नीमच सिटी की पीतल की सील से सिलबंद कर, हस्ताक्षरित चिट चस्पा कर, सीलबंद चिटबंद किया गया।

6. अभियोजन मामला आगे यह भी है कि निकाले गए सब आर्टिकलों को क्रमानुसार 1ए, 1बी लगायत 6ए, 6बी से चिन्हित किया गया। तत्पश्चात् मूल माल प्लास्टिक के कट्टे जिनमें 15–15 किलो मय कट्टे के अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा शेष है, को सीलबंद किया जाकर, मूल माल को क्रमानुसार आर्टिकल 01 लगायत 06 तक चिन्हित किया तथा पंचनामा करने समरस निकालने सैंपल करने सिलबंद देने आर्टीकल का बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त सीलबंद आर्टिकलों एवं बिना नम्बर सिल्वर रंग के आईशर ट्रेक्टर, जिसके इंजिन नंबर G67774 व चैचिस नंबर 923613147868 व दोनों तरफ अल्ट्राटेक लिखी ट्रॉली को जप्त किया। तत्पश्चात् मोहम्मद शेर खान के कब्जे से मिले अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के मूल आर्टिकल तथा निकाले गए सब आर्टिकल को जिस थाना नीमच सिटी की सील से सिलबंद किया, उसका सील नमूना तैयार किया गया। तत्पश्चात् आरोपी मोहम्मद शेर खान पिता कल्लु खान पठान, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम बिल्लौद, थाना नाहरगढ, जिला मंदसौर का कृत्य धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होने से गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफतार किया गया। तत्पश्चात् मौके पर गिरफ्तारशुदा आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के संबध में पूछताछ करते, लक्ष्मीनारायण पिता राधेश्याम वलाई, निवासी बंड पिपल्या से लाना तथा नागौर राजस्थान में ले जाकर, उसे ही देना बताया। मेमोरेण्डम धारा 27

साक्ष्य विधान का तैयार कर, मौके की समस्त कार्यवाही कर, मय फोर्स के वापस थाना आया। वापसी पर आरोपी मोहम्मद शेरखान के विरूद्ध असल अपराध क्रमांक 263/2019, धारा–8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शेरखान के मेमोरेण्डम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर, प्रकरण में धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का इजाफा कर, लक्ष्मीनारायण पिता राधेश्याम बलाई, निवासी बंडपिपल्या को सह–आरोपी के रूप में संयोजित किया गया। विवेचना में लक्ष्मीनारायण द्वारा मोहम्मद शेरखान को डोडाचूरा तस्करी हेतु ट्रेक्टर–ट्रॉली उपलब्ध कराने से उसका धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत सह–आरोपी होना सिद्ध पाया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालान क्र. 432/19, दिनांक 05.11.2019 का कता किया जाकर, अभियोगपत्र न्यायालय में विचारणार्थ प्रस्तुत किया गया।

7. मेरे व मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा, आरोपीगण मोहम्मद शेरखान व लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध धारा–8/15(सी), 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोप–पत्र विरचित कर, आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाए जाने पर, आरोपीगण द्वारा अपराध अस्वीकार कर, विचारण चाहा। आरोपीगण द्वारा धारा 351 बी.एन.एस.एस. के परीक्षण में प्रतिरक्षा ली गई है कि **''वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है''**।

8. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:–

1. **क्या**, आरोपी मोहम्मद शेरखान ने दिनांक 15.05.2019 के 03:40 बजे या उसके लगभग मालखेड़ा फंटा, हाईवे रोड, जिला–नीमच पर अपने स्वामित्व के आयशर ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक–एम.पी.–44–ए.बी.–1035 के गोपनीय चैम्बर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 96 किलोग्राम परिवहन किया ?

2. **क्या**, आरोपी लक्ष्मीनारायण ने उक्त दिनांक को अथवा इसके पूर्व सहआरोपी मोहम्मद शेरखान के साथ

मिलकर, अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का क्रय–विक्रय/परिवहन किये जाने का आपराधिक षड्यंत्र किया, जिसके अनुक्रम में उक्त दिनांक को मालखेड़ा फंटा, हाईवे रोड, जिला–नीमच पर वाहन आयशर ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक–एम.पी.–44–ए.बी.–1035 के गोपनीय चैम्बर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 96 किलोग्राम का परिवहन किया, जो आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा सहआरोपी मोहम्मद शेरखान को उपलब्ध कराया गया ?

–: **निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार** :–

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरणः–

9. उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने तथा साक्ष्य की पुनरावृति न हो, इस कारण से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किए जा रहा है।

10. आरोपी मोहम्मद शेरखान पर आक्षेपित आरोपों के संबंध जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह अ0सा011 का कथन है कि वह दिनांक 15.05.2019 को थाना नीमचसिटी पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि "ग्राम बिलोद का मोहम्मद शेरखान एक आईशर ट्रेक्टर सिल्वर रंग का जिसके आगे चैनल पर ''देवड़ा'' लिखा है एवं पीछे पीले रंग की ट्राली जिसके दोनों तरफ ''अल्ट्राटेक'' लिखा है, ट्रॉली वाले भाग के नीचे चेचिस में गोपनीय चैंबर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा छिपाकर मंदसौर तरफ से हाईवे रोड होते हुए, राजस्थान तरफ जाने वाला है"। सूचना विश्वसनीय मुखबिर से प्राप्त होने से, रोजनामचा सान्हे में दर्ज कर, कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र साक्षियों की आवश्यकता होने से, आरक्षक अजीत को पंच तलब करने हेतु मनासा नाका रवाना किया। कुछ देर बाद, आरक्षक अजीत अपने साथ दो पंच राजा एवं एहसान को लेकर आया। तत्पश्चात् उसने तलबिदा पंचान एवं उपस्थित फोर्स को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर, मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया। कार्यवाही हेतु सर्च वारण्ट की आवश्यकता होने, किंतु सर्च वारण्ट प्राप्त करने में बिलंब लग

सकता था, अतः सर्च वारण्ट प्राप्त न कर सकने के कारणों का उल्लेख करते हुए, सर्च वारण्ट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा तैयार कर, धारा 42 एन.डी.पी.एस. का प्रतिवेदन तैयार कर, मुखबिर सूचना व सर्च वारण्ट प्राप्त न कर सकने के पंचनामे की प्रतियां, आरक्षक अजीत को देकर, सी.एस.पी. को देने हेतु रवाना किया। लगभग ऐसे ही कथन हमराह अशोक चंद्रावत अ0सा015 ने किए हैं।

11. जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह अ0सा011 ने, मुखबिर सूचना पंचनामा प्र0पी0–03, सर्च वारण्ट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्र0पी0–04, धारा 42 के सूचना प्रतिवदेन प्र0पी0–01 पर, अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपरोक्त बिंदुओं पर, आरोपी मोहम्मद शेरखान की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में, इन साक्षियों के कथनों में कोई तात्विक विसंगति एवं सारवान विरोधाभास देखने में नहीं आया है। रोजनामचा सान्हा प्र0पी0–75 लगायत 78 दिनांक 15.05.2019 से भी, ''मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर, पंचों को तलब कर, मुखबिर सूचना पंचनामा, सर्च वारण्ट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा, एवं धारा 42 का प्रतिवेदन प्रेषित किए जाने'' के तथ्य की पुष्टि है।

12. अधिनियम की धारा 42 के अनुपालन को लेकर, आरोपी मोहम्मद शेरखान के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ''न्यायालय में प्रस्तुत धारा 42 के प्रतिवेदन प्र0पी0–01 की प्रति पर नगर पुलिस अधीक्षक के अवलोकन की टीप अंकित नहीं है और न ही आवक–जावक अंकित है। सूचना नगर पुलिस अधीक्षक को नहीं दी गई है। अतः अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन किया जाना संदेहास्पद है''। विजेश यादव अ0सा01 दिनांक 15.05.2019 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रीडर के पद पर पदस्थ था। इस साक्षी ने, उक्त दिनांक को नीमचसिटी के आरक्षक अजीत अ0सा016 के द्वारा अधिनियम की धारा 42 का प्रतिवदेन उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, उक्त प्रतिवेदन के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों एवं बी से बी भाग पर प्राप्ति की टीप को प्रमाणित करते हुए, अधिनियम की धारा 42 का प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने को लेकर, स्पष्ट कथन किए हैं, जिसकी पुष्टि तत्संबंधी रोजनामचा सान्हो से भी हुई

Contd. -----

है। यह सही है कि अधिनियम की धारा 42 के प्रतिवदेन पर नगर पुलिस अधीक्षक सी.एस.पी. के अवलोकन की टीप अंकित नहीं है। इस संबंध में, उल्लेखनीय है कि जो प्रति सी.एस.पी. कार्यालय में प्राप्त की गई थी, उक्त प्रति पर सी.एस.पी. के द्वारा अवलोकन की टीप अंकित की जाती है, न कि न्यायालय में प्रस्तुत की गई प्रति पर, अतः प्रतिपरीक्षण में आये उपरोक्त तथ्यों से, अभियोजन मामले में कोई दुर्बलता नहीं आती है। इस प्रकार, उपलब्ध साक्ष्य से, अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित है।

13. मुखबिर सूचना की तस्दीकी हेतु, जप्तीकर्ता अधिकारी रोजन्द्र सिंह सिसौदिया अ0सा011 ने, थाना नीमचसिटी से प्रधान आरक्षक, गोपाल सोनी, आरक्षक माधव हाड़ा, तेजसिंह, अशोक चंद्रावत, मोहनसिंह पंच राजा शेख एवं एहसान के साथ आवश्यकता अनुसार, अनुसंधान सामग्री लेकर, प्रायवेट वाहन एम.पी.—14—एम.एल.—9999 से थाना से रवाना होकर, मालखेड़ा फंटे पहुंचकर नाकाबंदी की, कुछ देर बाद एक आईसर ट्रेक्टर सिल्वर रंग का, जिसके आगे चैनल पर ''देवड़ा'' लिखा हुआ था, आते दिखा। जिसे फोर्स की मदद से रोककर, चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मोहम्मद शेरखान पिता कल्लुखान पठान, निवासी—बिल्लोद, थाना नाहरगढ़, मंदसौर का होना बताया। तत्पश्चात् उसे मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए, अधिनियम की धारा—50 का सूचना पत्र दिए जाने के उपरांत, उसकी मौखिक व लिखित सहमति प्राप्त की गई।

14. जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 ने अधिनियम की धारा 50 का सूचना पत्र प्र0पी0—06, सहमति पंचनामा प्र0पी0—07, लिखित सहमति पंचनामा प्र0पी0—08 के सी से सी भाग पर अपने एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है जिन्हें प्रतिपरीक्षण में आरोपी की ओर से विवादित नहीं किया गया। जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि ''आरोपी के सहमति पंचनामा पर उसके डरा—धमकाकर हस्ताक्षर कराए थे एवं आरोपी मोहम्मद शेरखान ने स्वयं

Contd. -----

अपने हस्तलेख में, तलाशी बाबत् स्वैच्छिक सहमति नहीं दी थी। अन्य कोई तात्विक विसंगति एवं सारवान विरोधाभास उपरोक्त बिंदु पर, इस साक्षी के कथनों में देखने में नहीं आया है। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ''अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और न ही आरोपी को तलाशी हेतु निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ले जाया गया है''। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मुखबिर सूचना पंचनामा प्र0पी0–03 के मुताबिक आरोपी के कब्जे की ट्रॉली में मादक पदार्थ परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी न कि आरोपी के शरीर से मादक पदार्थ परिवहन की। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा–50 का अनुपालन आज्ञापक स्वरूप का नहीं है, इस संबंध में, माननीय **न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विरूद्ध पवन कुमार, ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 2265** तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''अधिनियम की धारा 50(1) केवल व्यक्ति की तलाशी में लागू होती है। व्यक्ति का अर्थ एक मनुष्य से है, जो कपड़े, जूते पहने हो लेकिन एक व्यक्ति जो बेग, ब्रीफकेस, कन्टेनर ले जा रहा हो और उस बेग, ब्रीफकेस या कन्टेनर की तलाशी ली जाना हो, वहाँ अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी''। अतः माननीय न्यायदृष्टांत के आलोक में आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

15. जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 के द्वारा, ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली की तलाशी लिए जाने पर, ट्रेक्टर के हाईड्रोलिक / जैक से ट्रॉली को उंचा कर देखा, तो ट्रॉली के नीचे एक गोपनीय चैम्बर बना हुआ था, जिसमें रखे काले रंग के 06 कट्टों को खोलकर देखने पर, छिलकेनुमा पदार्थ होना पाया। तत्पश्चात् फोर्स व पंचों की मदद से उसकी पहचान मादक पदार्थ डोडाचूरा होने के पश्चात्, साथ लाये गए इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे का भौतिक सत्यापन कर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा सही होना पाये जाने पर, उक्त 06 कट्टों का तौल करते प्रत्येक कट्टे में 16–16 किलोग्राम, कुल 96 किलोग्राम वजन पाया गया। तत्पश्चात् उक्त 06 कट्टों को उपर–नीचे समरस कर, उनसे 500–500

Contd. -----

ग्राम के दो—दो सैंपल कुल 12 निकालकर, उन्हें सफेद कपड़े की थैली में रखकर, सीलबंद चिटबंद कर, सैंपल को आर्टिकल ए—1 लगायत 6ए से 1बी लगायत 6बी तथा मुद्देमाल को आर्टिकल 1 लगायत 6 से चिन्हित किए जाने के उपरांत, उक्त ट्रेक्टर ट्रॉली को जप्त कर, जिस सील से मुद्देमाल व नमूना को सीलबंद किया गया था, उसका सील नमूना तैयार किया गया। तत्पश्चात् आरोपी मोहम्मद शेरखान को गिरफ्तार किए जाने के उपरांत, मय मुद्देमाल आरोपी, फोर्स के थाना नीमच सिटी आकर, अपराध क्रमांक 263/2019, धारा 8बी/15, 29 एन.डी.पी.एस. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—32 दर्ज की गई।

16. जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसौदिया अ0सा011 ने, मौके पर की गई कार्यवाही के, "पंचनामा फोर्स तलाशी प्र0पी0—09, संदेही एवं संदेही वाहन तलाशी पंचनामा प्र0पी0—10, मादक पदार्थ पहचान पंचनामा प्र0पी0—11, तौल कांटा सत्यापन पंचनामा प्र0पी0—12 मादक पदार्थ तौल पंचनामा प्र0पी0—13, सैंपल निकालने का पंचनामा प्र0पी0—14, जप्ती पंचनामा प्र0पी0—15, नमूना सील पंचनामा प्र0पी0—16, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0—17" पर अपने एवं आरोपी के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। आरोपी की ओर से, मौके पर की गई जप्ती संबंधी कार्यवाही को लेकर, जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह, हमराह साक्षी अशोक चंद्रावत पर, विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में दी गई चुनौतियों के बावजूद, "घटनास्थल पर आरोपी मोहम्मद शेरखान के मुखबिर सूचना के मुताबिक ''देवड़ा'' लिखे हुए ट्रेक्टर एवं पीले रंग की ट्रॉली, जिसके दोनों ओर ''अल्ट्राटेक'' लिखा हुआ है, उसके नीचे बने गुप्त चैंबर में 06 कट्टों में 96 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडाचूरा पाये जाने को लेकर'' इन साक्षियों के कथनों में कोई तात्विक विसंगति एवं सारवान विरोधाभास देखने में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त, आरोपी मोहम्मद शेरखान की ओर से घ टनास्थल पर, घटना दिनांक को स्वयं के ट्रेक्टर मय ट्रॉली के मौके पर पाये जाने के तथ्यों को प्रतिपरीक्षण में कतई विवादित भी नहीं किया गया है। मौके पर, की गई कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, आरोपी मोहम्मद शेरखान की ओर से इन साक्षियों को औपचारिक रूप से ''यह कहना गलत है'' के सुझाव दिए गए हैं, जो कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत

Contd. -----

साक्ष्य का खंडन नहीं है।

17. अभियोगपत्र के साथ प्रस्तुत प्र0डी0–01 लगायत प्र0डी0–04 के फोटोग्राफ्स को आरोपी मोहम्मद शेरखान की ओर से, न्यायालय में साक्षी जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसौदिया अ0सा011 को दिखाए जाने पर, इस साक्षी ने, प्र0डी0–01 लगायत प्र0डी0–04 में दिखाई दे रही ट्रॉली जप्त किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। इस संबंध में, आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ''मौके से जप्तशुदा ट्रॉली के फोटोग्राफ्स प्र0डी0–01 लगायत प्र0डी0–04 को अभियोगपत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रही ट्रॉली न ही पीले कलर की है और न ही उस पर, काले कलर से अल्ट्राटेक लिखा है, न ही कोई गुप्त चैंबर दिखाई दे रहा है, जिससे आरोपी मोहम्मद शेरखान के आधिपत्य से पीले रंग की ट्रॉली, जिस पर काले रंग से अल्ट्राटेक लिखा हुआ है, से मादक पदार्थ जप्त किया जाना पूर्णतः संदेहास्पद है''। इस संबंध में, यहां यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि जप्तीकर्ता राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 ने, अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उसके द्वारा मौके पर, जप्तशुदा ट्रेक्टर ट्रॉली की वीडियो एवं फोटोग्राफी की गई थी। इसके अतिरिक्त, मौके के अन्य किसी साक्षी ने ऐसा नहीं बताया है कि प्र0डी0–01 लगायत प्र0डी0–04 के फोटोग्राफ्स जप्तशुदा ट्रैक्टर के हैं। अभियोगपत्र के साथ प्रस्तुत प्र0पी0–74 धारा 65बी के प्रमाणपत्र से प्रकट है कि थाना बघाना के आरक्षक क्र0 304 अनिल तोमर के द्वारा दिनांक 05.09.2019 को ग्राम गोदाला जाकर ट्रॉली के फोटोग्राफ्स अपने मोबाईल से लिए गए थे। जबकि जप्तशुदा ट्रॉली घटना दिनांक 15.05.2019 के पश्चात् से आज दिनांक तक पुलिस थाना नीमच सिटी परिसर में रखी हुई है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि आरक्षक अनिल तोमर के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स प्र0डी0–01 लगायत प्र0डी0–04 मौके से आरोपी के कब्जे से जप्त की गई, पीले रंग की अल्ट्राटेक लिखी ट्रॉली के हैं।

18. अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि अनुसंधान

अधिकारी आर.सी. दांगी अ0सा013 के द्वारा, अनुबंध प्र0पी0–31 के द्वारा, सहआरोपी बाबूलाल के द्वारा कैलाश नामक व्यक्ति को विक्रय की गई ट्रॉली के संबंध में, ग्राम गोदाला जाकर, प्र0डी0–01 लगायत 04 फोटोग्राफ्स आरक्षक अनिल तौमर के माध्यम से खिंचवाये गए थे। इसी कारण जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसौदिया ने प्र0डी0–01 लगायत 04 में दिखाई दे रही ट्रॉली को घटनास्थल पर जप्त किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि जप्तशुदा ट्रॉली की पहचान को लेकर हुए विरोधाभास व भ्रांति के कारण उक्त जप्तशुदा ट्रैक्टर ट्रॉली को न्यायालय में बुलाया जाकर, आर्टिकल एमओ–1 व एमओ–2 से चिन्हित किया गया था, जिसे जप्तीकर्ता अधिकारी ने पहचान करके बताया कि आर्टिकल एमओ–1, एमओ–2 यह वही ट्रैक्टर ट्रॉली है, जिसे उसने घटना दिनांक को आरोपी मोहम्मद शेरखान के कब्जे से जप्त किया था। आर्टिकल एमओ–1, एमओ–2 एवं न्यायालय में लिए गए फोटोग्राफ्स प्र0पी0–114 लगायत 116 में पीले रंग की अल्ट्राटेक लिखी ट्रॉली तथा ट्रेक्टर, जिस पर ''देवड़ा'' लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है तथा ट्रॉली के फोटोग्राफ्स प्र0पी0–117 में गुप्त चैंबर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन सभी तथ्यों का खंडन बाद प्रतिपरीक्षण आरोपी की ओर से नहीं किया जा सका है, जिससे यह प्रकट है कि वास्तव में आरोपी के कब्जे से मौके से आर्टिकल एमओ–1, एमओ–2, प्र0पी0–114 लगायत 117 के फोटोग्राफ्स के मुताबिक जप्ती की गई थी।

19. न्यायालय में मौजूद ट्रेक्टर ट्रॉली के फोटोग्राफ्स प्र0डी0–05 के ए से ए भाग में मालखाना नंबर 33/19 दिखाई दे रहा है, जबकि उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली का मालखाना क्रमांक 34/19 पर मालखाने में जमा कराया गया था। उक्त को लेकर, आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि ''वास्तव में पीले रंग की कोई ट्रेक्टर ट्रॉली जप्त नहीं की गई थी, इसलिए मालखाने के नंबर में विरोधाभास है''। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि मालखाना रजिस्टर प्र0पी0–22 में मालखाना नंबर 33/19 पर, अपराध क्रमांक 262/19, धारा 25 आर्म्स एक्ट में जप्त छुरे को जमा कराया गया है तथा मालखाना नंबर 34/19 में अपराध

Contd. -----

क्रमांक 263/19 में ट्रैक्टर ट्रॉली एवं मादक पदार्थ डोडाचूरा का उल्लेख है। ट्रॉली पर अपराध क्रमांक 263/19 को लेकर कोई विसंगति प्रकट नहीं हुई है। अतः यदि ट्रैक्टर ट्रॉली पर, मालखाना नंबर 33/19 लेख भी हुआ है, तो इसी आधार पर, संपूर्ण अभियोजन मामले को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। अतः आरोपी की ओर से प्रस्तुत तर्कों से उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

20. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–32 दर्ज किए जाने के उपरांत, जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 के द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल एच.सी.एम. के जिम्मे किए जाने के उपरांत, अधिनियम की धारा 57 के तहत विस्तृत प्रतिवेदन प्र0पी0–02 आरक्षक अजीत कुमावत अ0सा016 के जरिए नगर पुलिस अधीक्षक को देने के लिए भेजा गया। जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 ने अधिनियम की धारा 57 के प्रतिवेदन प्र0पी0–02 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपरोक्त बिंदुओं पर आरोपी की ओर से जप्तीकर्ता अधिकारी पर लेश मात्र भी तात्विक प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। विजेश यादव अ0सा01 ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए दिनांक 15.05.2019 को रात्रि 22:30 बजे अपराध क्रमांक 263/19 में आरक्षक अजीत के द्वारा धारा 57 का प्रतिवेदन उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया है। इस संबंध में, यद्यपि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में बताया है कि "उक्त दिनांक को सी.एस.पी. साहब कहां थे, उनकी लोकेशन जानने का प्रयास नहीं किया। प्र0पी0–02 पर सी.एस.पी. साहब की हस्ताक्षरित सील नहीं है"। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आये उपरोक्त तथ्यों से अभियोजन मामले में इसलिए कोई दुर्बलता नहीं आती है, क्योंकि आरक्षक अजीत कुमावत अ0सा016 ने अधिनियम की धारा–57 का प्रतिवेदन सी.एस.पी. रीडर विजेश यादव अ0सा01 को दिए जाने के तथ्य की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त रोजनामचा सान्हा प्र0पी0–86 एवं 87 से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। अधिनियम की धारा–57 के अनुपालन को लेकर बाद प्रतिपरीक्षण इन साक्षियों के कथनों में उक्त कार्यवाही को लेकर, कोई तात्विक विसंगति एवं सारवान विरोधाभास देखने में नहीं आया है। इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य से अधिनियम की धारा 57 का अनुपालन किया

Contd. -----

जाना प्रमाणित है।

21. दशरथ कुमार माली अ0सा04, दिनांक 15.05.2019 को पुलिस थाना नीमचसिटी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। इस दिनांक को जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 के द्वारा अपराध क्रमांक 263/19, धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्तशुदा मूल आर्टिकल 1 लगायत 6, सब आर्टिकल 1ए, 1बी लगायत 6ए, 6बी तथा एक आईशर ट्रैक्टर मय ट्रॉली के जमा करने हेतु दिए जाने पर, उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर प्र0पी0–22 क्रमांक 34 पर इंद्राज किया गया था। दशरथ कुमार माली अ0सा04 ने, यद्यपि प्रतिपरीक्षण में, ''माल खोलकर नहीं देखा था, ट्रैक्टर मय ट्रॉली थाना परिसर में खड़ा किया, ऐसी कोई टीप मालखाना रजिस्टर में नहीं है। मालखाना रजिस्टर में समय का उल्लेख नहीं है'', आदि बताया है। किंतु इससे अभियोजन मामले में इसलिए कोई दुर्बलता नहीं आती, क्योंकि अधिनियम की धारा 52ए की कार्यवाही के समय प्रस्तुत मूल माल एवं एफ.एस.एल. हेतु भेजे गए सैंपलों की जांच के समय उक्त अनुसार, सीलबंद चिटबंद अवस्था में पाये गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य कोई सारवान विरोधाभास उपरोक्त बिंदु पर, राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 एवं दशरथ कुमार माली अ0सा04 के कथनों में देखने में नहीं आया है।

22. दिनांक 16.05.2019 को प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल एवं सैंपलों को मालखाना से निकालकर, अनुसंधान अधिकारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर अ0सा012 के द्वारा इन्हें पुनः सीलबंद चिटबंद कर पुनः सील पंचनामा प्र0पी0–24 तैयार किया गया था। इस संबंध में, नरेन्द्र सिंह ठाकुर अ0सा012, दशरथ कुमार माली अ0सा04 के कथनों में, बाद प्रतिपरीक्षण कोई तात्विक विसंगति एवं सारवान विरोधाभास देखने में नहीं आया है। रोजनामचा सान्हा प्र0पी0–89 से भी पुनः सील कार्यवाही के तथ्यों की पुष्टि हुई है। अतः उपरोक्त बिंदुओं पर, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन आरोपीगण की ओर से नहीं किया जा सका है।

23. वीरेन्द्र सिंह अ0सा014 दिनांक 17.05.2019 को थाना नीमचसिटी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, इस दिनांक को थाने में

पदस्थ प्रधान आरक्षक मोहर्रिर दशरथ माली अ0सा04 के द्वारा, आर्टिकल ए—1 लगायत ए—6 मय ड्राफ्ट प्र0पी0—49 के आर.एफ.एस.एल. इंदौर में जमा कराए जाने हेतु दिए जाने पर, इस साक्षी के द्वारा उक्त सैंपलों को जमा कराया जाकर, रसीद प्र0पी0—25 थाना नीमचसिटी में जमा कराई गई थी। इस तथ्य की पुष्टि तत्संबंधी रोजनामचा सान्हा प्र0पी0—53 व 54 से हुई है। उपरोक्त बिंदु पर, वीरेन्द्र सिंह अ0सा04, दशरथ कुमार माली अ0सा04 के कथनों में बाद प्रतिपरीक्षण कोई तात्विक विसंगति एवं सारवान विरोधाभास देखने में नहीं आया है। रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0—50 के परिशीलन से प्रकट है कि दिनांक 16.05.2019 को पुलिस थाना नीमच सिटी के आरक्षक वीरेन्द्रसिंह उमठ अ0सा014 के द्वारा अपराध क्रमांक 263/2019 के सैंपल आर्टिकल 1—ए लगायत 6ए सीलबंद चिटबंद अवस्था में रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट इंदौर में प्रस्तुत किए गए थे, जिनका रासायनिक परीक्षण किए जाने के उपरांत उपरोक्त सैंपल में **"औपियम पॉपी कैप्सूल"** के टुकड़े पाये गए, जिससे मादक पदार्थ ''डोडाचूरा'' होने के तथ्य की पुष्टि हुई है। उपरोक्त तथ्य भी बाद प्रतिपरीक्षण चुनौतीविहीन रहा है।

24. अनुसंधान अधिकारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर अ0सा012 ने, अपने कथनों में व्यक्त किया है कि दिनांक 16.06.2019 को अधिनियम की धारा 52ए की कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी बघाना के द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी नीमच को प्र0पी0—36 का पत्र लेख किया गया था, जिसके पालन में दिनांक 27.07.2019 को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, दिनांक 04.08.2019 को अधिनियम की धारा 52ए की कार्यवाही नियत किए जाने पर, उक्त दिनांक को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के थाना परिसर में उपस्थित होने पर, उनके समक्ष जप्तशुदा आर्टिकल 01 लगायत 06 वजन 90 किलो 120 ग्राम प्रस्तुत किए जाने पर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 500—500 ग्राम के 2—2 सैंपल निकालकर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की सील से सीलबंद चिटबंद किए जाकर, उन्हें सब आर्टिकल ए—3, ए—4 लगायत एफ—3, एफ—4 से चिन्हित किया गया तथा कार्यवाही के फोटोग्राफी कर, राजस्व आदेश पत्रिका लेख की गई थी।

Contd. -----

25. अनुसंधान अधिकारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर अ0सा012 ने, अधिनियम की धारा 52ए की कार्यवाही के पत्र प्र0पी0—36, आदेश पत्रिका प्र0पी0—37, 38, अनुक्रमणिका प्र0पी0—39, 40 तथा फोटोग्राफ्स प्र0पी0—41 लगायत प्र0पी0—49 पर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपरोक्त बिंदु पर, आरोपीगण की ओर से साक्षियों को प्रतिपरीक्षण में, मात्र ''यह कहना गलत है'' के सुझाव दिए गए हैं, अन्य कोई तात्विक प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 52ए की कार्यवाही को लेकर, अनुसंधान अधिकारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर अ0सा012 एवं मालखाना मोहर्रिर दशरथ कुमार माली अ0सा04 के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दी गई साक्ष्य, का खंडन बाद प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सका है। इस प्रकार, अभियोजन की अखंडनीय साक्ष्य से अधिनियम की धारा 52ए की कार्यवाही किया जाना प्रमाणित है।

26. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि **"**घटना दिनांक 15.05.2019 के संबंध में घटनास्थल की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और न ही मौके के किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी बनाया गया है। अतः घटनास्थल पर की गई संपूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद होने से आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।**"** यह सही है कि घटनास्थल पर की गई कार्यवाही के संबंध में मौके के फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी इत्यादि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है, किंतु ''घटनास्थल से घटना दिनांक व समय को आरोपी मोहम्मद शेरखान के आधिपत्य के वाहन आयशर ट्रेक्टर जिसके पर ''देवडा'' लिखा हुआ था तथा पीले रंग की ट्राली जिसके दोनों ओर काले रंग से ''अल्ट्राटेक'' लिखा हुआ था, से 06 कट्टों में कुल 96 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किए जाने को लेकर**"** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अखंडनीय स्वरूप की रही है। ऐसी स्थिति में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए जाने मात्र से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संपूर्ण ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता। जहां तक घटनास्थल के आसापास के लोगों को साक्षी न बनाये जाने का प्रश्न है तो एक मात्र इसी आधार पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पुलिस साक्षियों की ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता।

Contd. -----

इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत ***Ganshyam Laxminarayan Patidar and anr. v. State of M.P.*** **Reported in** – 2016 CriLJ 4937 "As regards evidential value of the testimony of police officer(s), though it has been contended by the learned counsel for the appellants that such testimony in absence of corroboration from an independent source cannot be relied upon to record conviction, however, the settled position of law is that conviction can be based on the testimony of a police officer, provided the court is of opinion that the witness is truthful and trustworthy. In this connection the law laid down by Hon'ble the apex Court in ***Lopchand Naruji Jat & Anr. v. State of Gujarat, (2004) 7 SCC 566, Abdul Majid abdul Hak Ansari v. State of Gujarat, (2003) 10 SCC 198*** and ***P.P. Beeran vs. State of Kerala, (2001) 9 SCC 57*** can usefully be referred. अवलोकनीय है।

27. आरोपी लक्ष्मीनारायण को, इस मामले में सहआरोपी बाबूलाल के मेमोरेण्डम प्र0पी0—18 तथा 19 में की गई स्वीकारोक्ति/प्रकटीकरण के आधार पर, आरोपी के तौर पर, संयोजित किया गया है। आरोपी लक्ष्मीनारायण पर, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर—ट्रॉली में मादक पदार्थ भरकर सहआरोपी मोहम्मद शेरखान को दिए जाने के आरोप हैं। अब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा सहआरोपी मोहम्मद शेरखान से जप्त ट्रेक्टर में लगी ट्रॉली के गोपनीय चैंबर में मादक पदार्थ डोडाचूरा भरकर, परिवहन हेतु आरोपी मोहम्मद शेरखान को उपलब्ध कराया गया था ?

28. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0—30 के माध्यम से जप्त अनुबंध पत्र प्र0पी0—27 के अनुसार, घटना दिनांक 15.05.2019 से दो दिन पूर्व आरोपी बाबूलाल के द्वारा सहआरोपी लक्ष्मीनारायण को प्र0पी0—27 के विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर विक्रय किया जाना दर्शित है अर्थात घटना से दो दिन पूर्व आरोपी बाबूलाल के द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र के माध्यम से उक्त ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.—44—ए.बी.—1035 व ट्रॉली का नियंत्रण/आधिपत्य आरोपी लक्ष्मीनारायण को दिया जा चुका था। इस तथ्य को आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में विशिष्ट रुप से विवादित नहीं किया गया है।

Contd. -----

29. अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि मोहम्मद शेरखान के द्वारा घटनास्थल पर, जप्तीकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया अ0सा011 को दिए गए मेमोरेण्डम प्र0पी0–18, 19 में किए गए प्रकटीकरण के आधार पर, आरोपी लक्ष्मीनारायण को अनुसंधान अधिकारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर अ0सा012 के द्वारा दिनांक 20.05.2019 को गिरफ्तार किया जाकर, उससे की गई पूछताछ में साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम प्र0पी0–35 के द्वारा किए गए प्रकटीकरण में यह तथ्य सामने आया है कि जप्तशुदा ट्रैक्टर आरोपी लक्ष्मीनारायण के नाम का था, जिसे उसके द्वारा आरोपी शेरखान को डोडाचूरा परिवहन हेतु प्रदान किया गया था। आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा अभियोजन साक्षियों पर किए गए प्रतिपरीक्षण में आरोपी शेरखान के कब्जे से पाये गए मादक पदार्थ डोडाचूरा के तथ्यों को विशिष्ट रूप से विवादित नहीं किया गया है।

30. आरोपी लक्ष्मीनारायण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ''आरोपी लक्ष्मीनारायण से कोई मादक पदार्थ जप्त नहीं हुआ है और न ही आरोपी लक्ष्मीनारायण का नाम मुखबिर सूचना पंचनामे में है। एकमात्र पुलिस अभिरक्षा में दिए गए साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डमों के आधार पर, आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है''। यह सही है कि एकमात्र धारा 27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डमों में की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर, सहआरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, किंतु मेमोरेण्डमों में किए गए प्रकटीकरण के आधार पर, अपराध में संलिप्तता संबंधी किन्हीं अन्य तथ्यों की जानकारी अथवा अन्य कोई साक्ष्य प्राप्त होती है, तो ऐसी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी निर्धारित की जा सकती है''।

31. यह सही है कि आरोपी लक्ष्मीनारायण का नाम मुखबिर सूचना पंचनामा में नहीं है और न ही उसके कब्जे से मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त हुआ है, किंतु अनुसंधान के दौरान, दिनांक 29.05.2019 को सहआरोपी बाबूलाल (दोषसिद्ध) के कब्जे से पाये गए अनुबंध पत्र प्र0पी0–27 के अनुसार, दिनांक 13.05.2019 को आरोपी बाबूलाल से आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा, प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को क्रय कर,

उक्त अनुबंध निष्पादित किया गया था। आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा अनुबंध पत्र प्र0पी0–27 पर स्वयं के हस्ताक्षर को विवादित नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट है कि दिनांक 13.05.2019 को आरोपी के द्वारा जप्तशुदा ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.–44–ए.बी.–1035 को आरोपी बाबूलाल से क्रय किया गया था। तत्पश्चात् उक्त ट्रैक्टर दिनांक 15.05.2019 को सहआरोपी मोहम्मद शेरखान के कब्जे से मय ट्रॉली घटनास्थल से मादक पदार्थ डोडाचूरा सहित पाया गया था। इन परिस्थितियों में आरोपी लक्ष्मीनारायण का प्रथम दायित्व है कि वह स्पष्ट करे कि उसके नियंत्रण/कब्जे का ट्रैक्टर आरोपी मोहम्मद शेरखान के कब्जे में किस प्रकार से आया था।

32. आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा अभियोजन साक्षियों पर किए गए प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का कतई खंडन नहीं किया जा सका है कि उसके द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को आरोपी मोहम्मद शेरखान को प्रदान नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर जो तथ्य प्रकरण में प्रकट हुए हैं तथा जो साक्ष्य अनुसंधान के दौरान, संकलित की गई है, उससे स्पष्ट रूप से यह स्थापित है कि आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा सहआरोपी बाबूलाल के साथ मादक पदार्थ परिवहन का षड्यंत्र किया तथा इसी के अनुक्रम में आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा आरोपी बाबूलाल से क्रय किये गए ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली में मादक पदार्थ भरकर आरोपी मोहम्मद शेरखान को उपलब्ध करवाया गया था।

33. न्यायदृष्टांत **पजांब राज्य बनाम सुरजीतसिहं व अन्य 2009 (2) ई एफ आर 179** तथा **पंजाब राज्य बनाम लखविंदरसिंह व अन्य 2010 (2) ई एफ आर 165** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि ''जहॉ एक बार मादक पदार्थ पर अभियुक्त का संज्ञान आधिपत्य दर्शा दिया जाता है, वहॉ अभियुक्त की मानसिक दशा संबंधी उपधारणा (अधिनियम 1985 की धारा 35 व 54 के तहत) की जायेगी। जिसके खंडन का भार अभियुक्त पर होगा।

34. घटना दिनांक को मौके पर की गई मादक पदार्थ जप्ती एवं आरोपीगण की उपस्थिति इत्यादि की कार्यवाही से संबंधित ध

Contd. -----

ाटना के मूल बिंदु पर धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) के निर्बंधनों में लेखबद्ध किये गये अभियुक्त परीक्षण में विनिर्दिष्ट प्रश्न 02 लगायत 123 व 127 किये गये, जिनके उत्तर आरोपीगण के द्वारा "पता नहीं", "गलत है" दिये गये, जो कि वस्तुतः कोई स्पष्टीकरण नहीं है और परिसाक्षित तथ्य के संबंध में मौन रहने के बराबर है। माननीय न्याय दृष्टांत **फूलसिंह वि. हिमांचल प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2014 एस.सी.–1256** में यह प्रतिपादित किया गया है कि–"the accused has a duty to furnish an explanation in his statement under section 313, cr.p.c. Regarding any incriminating material that has been produced against him. If the accused has been given the freedom to remain silent during the investigation as well as before the court, than the accused may choose to maintain silence or even remain in complete denial when his statement under section 313, cr.p.c. is being recorded. However, in such an event, the court would be entitled to draw an inference, including such adverse inference, against the accused as may be permissible in accordance with law."

35. पूर्वोक्त कंडिकाओं में की गई साक्ष्य की क्रमबद्ध विवेचना से, आरोपी मोहम्मद शेरखान दिनांक 15.05.2019 के 03:40 बजे या उसके लगभग, मालखेडा फंटा, हाईवे रोड, जिला–नीमच पर आयशर ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक एम.पी.–44–ए.बी.–1035 के गोपनीय चेम्बर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 96 किलोग्राम का परिवहन किया जाना तथा उक्त मादक पदार्थ डोडाचूरा को, सहआरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा जप्तशुदा ट्रैक्टर–ट्रॉली में भरकर, आरोपी मोहम्मद शेरखान को उपलब्ध कराया जाना, प्रमाणित होने से, आरोपीगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 35 एवं 54 के प्रावधानों के आलोक में अपराध किए जाने की उपधारणा किया जाना अपेक्षित है, जिसके खंडन का संपूर्ण भार आरोपीगण पर है।

36. आरोपी मोहम्मद शेरखान व लक्ष्मीनारायण द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के परीक्षण में प्रतिरक्षा ली गई है कि **"वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है"**। किंतु उपरोक्त प्रतिरक्षा के माध्यम

Contd. -----

से, अभियोजन की ठोस साक्ष्य को खंडन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे प्रकट है कि आरोपीगण के द्वारा औपचारिक स्वरूप की प्रतिरक्षा ली गई है। न्याय दृष्टांत **अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य (2000) 2 एस.सी.सी. 513** के मामले में, ''अधिनियम की धारा—35 के तहत कल्पित पूर्व उपधारणों को खण्डित करने के लिए आरोपी की ओर से किसी भी प्रकार से प्रमाण का बोझ नहीं उठाया गया है, जिससे यह साबित हुआ कि आरोपी सचेतन मन एवं पूर्ण ज्ञान के साथ मादक पदार्थ का परिवहन कर रहे थे''। इस मामले में आरोपीगण की ओर से मात्र औपचारिक स्वरूप की प्रतिरक्षा ली गई है। आरोपीगण की ओर से भी अधिनियम की धारा—35 व 54 के तहत उपधारणा के खण्डन का कोई भार नहीं उठाया गया है, जिससे अधिनियम की धारा—35 व 54 के तहत कल्पित उपधारणा का खण्डन नहीं किया जा सका है।

37. पूर्वोक्त कंडिकाओं में की गई साक्ष्य की क्रमबद्ध विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में **सफल** रहा है कि ''आरोपी मोहम्मद शेरखान ने दिनांक 15.05.2019 के 03:40 बजे या उसके लगभग मालखेड़ा फंटा, हाईवे रोड, जिला—नीमच पर अपने स्वामित्व के आयशर ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक—एम.पी.—44—ए.बी.—1035 के गोपनीय चैम्बर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 96 किलोग्राम परिवहन किया तथा आरोपी लक्ष्मीनारायण ने उक्त दिनांक को अथवा इसके पूर्व सहआरोपी मोहम्मद शेरखान के साथ मिलकर, अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा काक्रय—विक्रय/परिवहन किये जाने का आपराधिक षड्यंत्र किया, जिसके अनुक्रम में उक्त दिनांक को मालखेड़ा फंटा, हाईवे रोड, जिला—नीमच पर वाहन आयशर ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक—एम.पी.—44—ए.बी.—1035 के गोपनीय चैम्बर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 96 किलोग्राम का परिवहन किया, जो आरोपी लक्ष्मीनारायण के द्वारा सहआरोपी मोहम्मद शेरखान को उपलब्ध कराया गया''।

38. फलतः आरोपी मोहम्मद शेरखान को धारा 08/15(सी) तथा लक्ष्मीनारायण को धारा 08/15(सी) सहपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, **दोषसिद्ध** किया जाता है।

Contd. -----

दोषीगण मोहम्मद शेरखान तथा लक्ष्मीनारायण को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

सही/–
(जितेन्द्र कुमार बाजोलिया)
विशेष न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस. एक्ट) नीमच (म.प्र.)

पुनश्च–

39. दोषीगण मोहम्मद शेरखान व लक्ष्मीनारायण तथा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री निरंजन दशौरा व श्री रमेश राजौरा एवं श्री चंचल बाहेती लोक अभियोजक को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। दोषीगण की ओर से निवेदन किया है कि दोषीगण लंबे समय तक विचारण अवधि में न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। उनके वृद्ध माता–पिता हैं तथा उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं व परिवार की देखरेख करने व कमाने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। कोई पूर्व की दोषसिद्धि भी नहीं रही है। इन आधारों पर दोषीगण को न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

40. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री चंचल बाहेती ने निवेदन किया है कि दोषीगण शेरखान व लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध 96 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के परिवहन का अपराध साबित हुआ है। अतः दोषीगण शेरखान व लक्ष्मीनारायण को अधिक से अधिक दण्ड दिया जावे। उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

41. दोषी मोहम्मद शेरखान एवं लक्ष्मीनारायण पर साबित अपराध में जप्तशुदा मादक पदार्थ अफीम के डोडाचूरा की मात्रा 96 किलोग्राम पायी गयी है। जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, जिसमें कठोर कारावास की कम से कम अवधि 10 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 20

Contd. -----

वर्ष एवं कम से कम एक लाख रूपये का जुर्माना तथा दो लाख रूपये तक से दण्डनीय है।

42. दोषी मोहम्मद शेरखान एवं लक्ष्मीनारायण को इस वैधानिक प्रावधान के प्रकाश में अपराध की प्रकृति एवं समस्त परिस्थितियों को देखते हुए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:–

दोषी का नाम	धारा	दी गई कारावास की सजा	अर्थदंड	व्यतिक्रम
मोहम्मद शेरखान पिता कल्लू खान	धारा 8/15(सी)एन.डी.पी.एस. एक्ट	10 वर्ष के सश्रम कारावास	1,00,000/–रूपए	01 वर्ष के सश्रम कारावास
लक्ष्मीनारायण पिता राधेश्याम	धारा 8/15(सी) सहपठित 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट	10 वर्ष के सश्रम कारावास	1,00,000/–रूपए	01 वर्ष के सश्रम कारावास

43. दोषीगण मोहम्मद शेरखान व लक्ष्मीनारायण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि, उसके सश्रम कारावास की सजा में समायोजित की जाये तथा दोषी शेरखान व लक्ष्मीनारायण के न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा 468 भा.ना.सु.सं., 2023 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

44. प्रकरण में जप्तशुदा मूल मादक पदार्थ का न्यायालय के आदेशानुसार नष्टीकरण किया जा चुका है। जप्तशुदा/आर्टिकल सैंपलों को अपील अवधि पश्चात् पुलिस थाना नीमचसिटी के माध्यम से नष्टीकरण हेतु ड्रग डिस्पोजल कमेटी को भेजा जावे। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

45. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन आयशर ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक–एम.पी.–44–ए.बी.–1035 अनुबंध प्र0पी0–27 के द्वारा आरोपी

Contd. -----

लक्ष्मीनारायण के द्वारा क्रय किया गया है तथा आरोपी लक्ष्मीनारायण को उक्त अपराध में दोषी पाया गया है तथा उक्त ट्रैक्टर–ट्रॉली की उक्त अपराध में संलिप्तता साबित हुई है। अतः उपरोक्त ट्रैक्टर–ट्रॉली को अपील अवधि पश्चात्, विधि अनुसार राजसात किया जाकर, राशि शासकीय कोष में जमा की जावे। अपील होने पर, माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

46. निर्णय की एक प्रति धारा–404 भा.ना.सु.सं., 2023 के प्रावधानों अनुसार तत्काल दोषसिद्ध आरोपीगण मोहम्मद शेरखान व लक्ष्मीनारायण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

47. निर्णय की एक प्रति धारा–406 भा.ना.सु.सं., 2023 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

48. प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया।
सही/–
(जितेन्द्र कुमार बाजोलिया)
विशेष न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस. एक्ट) नीमच (म.प्र.)

मेरे उद्भोदन पर टंकित।
सही/–
(जितेन्द्र कुमार बाजोलिया)
विशेष न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस. एक्ट) नीमच (म.प्र.)

स्थानः–नीमच,
दिनांकः–12.08.2026

JITENDRA KUMAR BAJOLIYA
Digitally signed by JITENDRA KUMAR BAJOLIYA
Date: 2026.08.14 11:00:31 +0530